न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– उत्पाद अधिहरण वाद सं0–50/2017–18 राज्य बनाम सुनिल कुमार एवं अन्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
05.09.2017	**आदेश** पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3167/सी0आर0, दिनांक 17.06.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत बेलदौर थाना कांड संख्या–95/17 दिनांक 17.05.2017 में वादी थानाध्यक्ष श्री शशि कुमार द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर बेलदौर से 600 गज उत्तर श्रीपुर पथ मोड़ के पास आस्था कम्युनिकेशन मोबाईल के पूरब सामने के मार्ग पर हीरो पैशन प्रो मोटर साईकिल जिसका पंजीयन सं0–BR-34J-9223 के डिक्की से रॉयल स्टेग कम्पनी का 180 एम0एल0 का 03 (तीन) बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। जप्त वाहन का उपयोग राज्य में शराब लाकर खरीद–बिक्री में किया जा रहा था। उक्त कांड में जप्त वाहन को अधिहरण करने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी, तलासी सह जप्ती सूची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदन 02 संलग्न है। अभिलेख में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30(ए) के अन्तर्गत तलासी सह जप्ती सूची की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन में जप्ती का विवरण स्पष्ट है जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को सम्पुष्ट करता है। जप्ती की विवरणी निम्नवत है:– जप्ती के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर बेलदौर से 600 गज उत्तर श्रीपुर पथ मोड के पास आस्था कम्युनिकेशन मोबाईल के पूरब सामने के मार्ग पर हीरो पैशन प्रो मोटर साईकिल जिसका पंजीयन सं0–BR-34J-9223 के डिक्की से रॉयल स्टेग कम्पनी का 180 एम0एल0 का 03 (तीन) बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधितों को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। विपक्षी सुनिल कुमार पिता–सुभाष चन्द्र सिंह, ग्राम–सकरोहर, थाना–बेलदौर, जिला–खगड़िया के विरूद्ध ज्ञापांक 203/डी0बी0/विधि, दिनांक 01.08.2017 से नोटिस निर्गत किया गया तथा डी0बी0 नं0 204/विधि, दिनांक 01.08.2017 से तामिला हेतु	

Issued 23/10/17

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी को अपने अधिनस्थ थाना के माध्यम से तामिला कराने हेतु भेजा गया।

डी0बी0नं0–152/विधि, दिनांक 24.06.2017 से जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से गाड़ी निबंधन पंजी से इसका सत्यापन कर गाड़ी मालिक का नाम एवं पता की मांग की गयी।

जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया के पत्र दिनांक 06.07.2017 से वाहन स्वामी का नाम एवं पता प्रतिवेदित किया गया। जिसमें अंकित किया गया कि वाहन संख्या BR-34Jचेसिस नं0 MBLHA10BSFHF25116 सुनिल कुमार, पिता–सुभाष चन्द्र सिंह, ग्राम–सकरोहर, थाना–बेलदौर जिला–खगड़िया के नाम से पंजीवद्ध है।

विपक्षी की ओर कारण पुच्छा दायर किया गया। कारण पुच्छा में उल्लेख किया गया है एक साथ दो तरह का कार्यवाही विभिन्न न्यायालय में चलाया जाना न्याय संगत नहीं है। मामला अभी न्यायालय में चल रहा है और एक तरह के मामले में दो विभिन्न कार्यवाही के तहत सजा नही दिया जा सकता। उनके द्वारा इस कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक खगड़िया के पत्रांक 3167/सी03आर0, दिनांक 17.06.2017 से प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाहन संख्या संख्या–BR-34J चेसिस नं0 MBLHA10BSFHF25116 जो शराब कारोबार के लिए इश्तेमाल किया जा रहा था, जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि एक ही तरह का दो विभिन्न कार्यवाही चलाना न्याय संगत नहीं है। उनका कहना है कि इस प्रकार की घटना हुई ही नहीं है। उनका यह भी कहना है कि अगर न्यायालय से Conviction हो जाता है तो संतुष्ट हुआ जा सकता है कि घटना हुई है। तत्पश्चात आदेश पारित किया जा सकता है।

विपक्षी द्वारा यह कहना कि एक ही तरह का दो कार्यवाही चलाना न्याय संगत नहीं है, मान्य नहीं है। इस न्यायालय द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा शराब कारोबार में प्रयुक्त वाहन का अधिहरण की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में विपक्षी द्वारा कोई ठोस नियम एवं प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि अधिहरण का प्रस्ताव इस न्यायालय द्वारा नहीं चलाया जा सकता है।

विपक्षी के अधिवक्ता का यह कहना कि Conviction हो जाता है तो संतुष्ट हुआ जा सकता है कि घटना हुई है। तत्पश्चात

आदेश पारित किया जाय। उनका यह कथन मान्य नही है, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अन्तर्गत अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सिर्फ वाहन अधिहरण की कार्यवाही की जा रही है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गयी जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा 58(2)के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि वाहन संख्या–BR-34J चेसिस नं0 MBLHA10BSFHF25116 का इश्तेमाल शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो संदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत वाहन संख्या– BR-34J चेसिस नं0 MBLHA10BSFHF25116 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है कि :–

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन संख्या–BR-34J चेसिस नं0 MBLHA10BSFHF25116 जो जप्त कर बेलदौर थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किये जाने वाला वाहन किसी भी ऋणभार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाए।
2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन संख्या–BR-34J चेसिस नं0 MBLHA10BSFHF25116 का मोटरयान निरीक्षक खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

4

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0 379 /विधि, दिनांक 18/10/2017 प्रतिलिपिः–जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया/ अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। ह0/- 18/10/17 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि, शाखा खगड़िया। 18/10/17	